न्यायालयः–तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

Registration No- BA/205/2022
Filing number- 2459/2022
CNR No. MP19070029862022
Filling Date 14-10-2022

अभिषेक उर्फ शुभम पाण्डेय पुत्र सुनील कुमार पाण्डेय, उम्र– 18 वर्ष, निवासी– खेरवा टोला नागौद थाना नागौद जिला सतना म0प्र0

..... **आवेदक / अभियुक्त**

बनाम

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र नागौद, जिला सतना म0प्र0

.....**अनावेदक / राज्य**

आदेश दिनांक 18.10.2022 को पारित किया गया

आरोपी / आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लवकेश सिंह।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री राजेश मिश्रा।

पुलिस थाना नागौद के अपराध क्र. 568 / 2022 धारा 457, 380 भा0दं0स0 से संबंधित केस डायरी प्राप्त।

आवेदक अभिभाषक के जमानत आवेदन पर तर्क श्रवण किए गए।

आवेदक की ओर से उसके अधिवक्ता ने नियमित जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित आधार पर उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

सदापूर्णना ने आरोपी की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि आरोपी / आवेदक का नियमित जमानत का यह प्रथम आवेदन है। कोई आवेदन उसका माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय से निराकृत नहीं हुआ है और लंबित नहीं है।

आरोपी अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पर तर्क किया कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया आरोपी के द्वारा कोई घटना कारित नहीं है। आरोपी को झूठा फंसाया गया है। अतः आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाए।

अपर लोक अभियोजक ने आवेदन का गुण दोषों के आधार पर विरोध किया।

नियमित जमानत के आवेदन पर सुना गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि बस स्टेण्ड नागौद स्थित काली मन्दिर के पुजारी फरियादी द्वारा थाने में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट किया कि दिनांक 04.10.2022 को रात्रि 10:30 बजे रोजाना की भांति काली मन्दिर नागौद के गेट में ताला लगाकर चला गया था दिनांक 05.10.2022 को सुबह 05:00 बजे मन्दिर की पूजा करने आया तो देखा कि मन्दिर के गेट में लगा ताला टूटा था तब मन्दिर के अन्दर देखा तो मन्दिर में रखी दान पेटी नहीं थी उसने आस पास देखा जो कि नहीं मिली। मन्दिर की दान पेटी को कोई अज्ञात चोरी कर ले गया है दान पेटी में करीबन 6000 रूपए होगा। फरियादी की रिपोर्ट पर से धारा 457, 380 भा0दं0स0 का आरोप पंजीबद्ध

कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर आरोपी अभिषेक उर्फ शुभम पाण्डेय द्वारा अपने साथी रवि बर्मन के साथ मिलकर चोरी किया जाना बताया गया है आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

उभयपक्षों को सुना गया, प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त दिनांक 05.10.2022 से अभिरक्षा में है। आवेदक पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अभियुक्त से जप्ती की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, मामले में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता दर्शित नहीं होती है। यद्यपि केस डायरी के साथ अभियुक्त का अपराध क्रं0 362/2022 धारा 399, 402 भा0द0सं0 25/27 आर्म्स एक्ट से संबंधित आपराधिक रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है इसके अतिरिक्त और कोई मामला अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध होना दर्शित नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी व्यक्त ना करते हुए आरोपी/ आवेदक को जमानत का लाभ प्रदत्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आरोपी/आवेदक अभिषेक उर्फ शुभम पाण्डेय का प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि आरोपी/आवेदक अभिषेक उर्फ शुभम पाण्डेय की ओर से मजिस्ट्रेट न्यायालय की संतुष्टि योग्य 40,000/–रू. की सक्षम प्रतिभूति एवं 40,000/–रू. स्वयं का बंधपत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के लिए निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किया जाये तो उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. आरोपी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
2. आरोपी विचारण में सहयोग करेगा।
3. आरोपी साक्षियों को उत्प्रेरणा, धमकी अथवा वचन नहीं देगा।
4. आरोपी फरार नहीं होगा।
5. रिहाई आदेश पर टीप अंकित की जावे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक WP 01/2020 में COVID-19 की गाइडलाइनों का पालन करते हुए ही रिहाई संबंधी कार्यवाही की जावे।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापस की जावे।

आदेश की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर समय अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(नवनीत कुमार वालिया)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)